संख्या- 02 /2023/001-62CMNSYई-1687399

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 29 अगस्त, 2023**

विषय:- मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत ए0एण्डओ0ई0 मद में धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-8/3349/443/मु0न0सृ0यो0/2022-23, दिनांक 21.07.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि नगर विकास अनुभाग-9 के शासनादेश सं0-1490/ नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक 08 अगस्त 2022 में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में कुल बजट प्राविधान का 0.5 प्रतिशत धनराशि क्षमता निर्माण, ए0एण्ड ओ0ई0, प्रशासनिक एवं अन्य मदों तथा आई0ई0सी0 गतिविधियों के लिये रोके जाने का निर्णय लिया गया था। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत निकाय द्वारा कराये गये कार्यों का अनुश्रवण सी0एम0एन0एस0वाई सेल द्वारा किया जाता है। सेल में कार्यरत कार्मिकों को मानदेय एवं सेल के अन्य व्ययों को भी ए0एण्ड0ओ0ई0 मद से ही किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 1,51,77,500/- को संगत लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत कुल बजट धनराशि रू0 607.10 करोड का प्राविधान किया गया है, प्राविधानित धनराशि में से ए0एण्ड0ओ0ई0 मद हेतु निर्धारित कुल धनराशि रू0 303.55/- (रू0 तीन करोड़ तीन लाख पचपन हजार मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू0 1,68,42,408/- (रू0 एक करोड़ अडसठ लाख बयालीस हजार चार सौ आठ मात्र) शासनादेश दिनांक-27.06.2023 द्वारा नवसृजित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निर्गत की जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत उच्चीकृत/सीमा विस्तारित नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों/नवसृजित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु इस वर्ष की अवशेष धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत निम्नानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति कतिपय शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते है:-

क्रम सं0	**लेखाशीर्षक**	**प्राविधानित धनराशि (रू0) में**	**अवमुक्त की जा रही धनराशि (रू0) में**
1	2217-80-191-03-00 (सीमा विस्तारित/उच्चीकृत नगर निगमों हेतु)	7,865.00	39,32,500
2	2217-80-192-03-00 (सीमा विस्तारित/उच्चीकृत नगर पालिका परिषदों हेतु)	6,475.00	32,37,500
3	2217-80-193-03-00 (नवसृजित नगर	40,500.00	34,07,592

	पंचायतों हेतु)		
4	2217-80-193-04-00 (सीमा विस्तारित/उच्चीकृत नगर पंचायतों हेतु)	5,870.00	29,35,000
	योग	**60710.00**	**1,35,12,592**

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ के पद नाम से खुले बैंक के स्टेट नोडल खाते में हस्तान्तरित कर रखी जायेगी, जो नियमानुसार कार्य के लिए उपलब्ध करायी जायेगी।
2. धनराशि का आहरण राजकोष से आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
3. प्रश्नगत कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि सक्षम स्तर के अनुमोदनोंपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. कार्यों को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।
5. धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
6. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
7. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।
8. शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/ उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/ मुख्य/ वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथ वित्त विभाग को दी जाय।
9. मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश सं0-1489/नौ-9-2022-84ज/2022, दिनांक 08.08.2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं उक्त योजनान्तर्गत समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस- 2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-37 के लेखाशीर्षक-2217-80-191-03-00 (सीमा विस्तारित/उच्चीकृत नगर निगमों), लेखाशीर्षक-2217-80-192-03-00 (सीमा विस्तारित/उच्चीकृत नगर पालिका परिषदों), लेखाशीर्षक-2217-80-193-03-00 (नवसृजित नगर पंचायतों), लेखाशीर्षक-2217-80-193-04-00 (सीमा विस्तारित/उच्चीकृत नगर पंचायतों) में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के मानक मद-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामें डाला जायेगा।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2217801910300 (उच्चीकृत / सीमा विस्तारित नगर निगमों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
037	2217801910300 उच्चीकृत / सीमा विस्तारित नगर निगमों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	39,32,500 (रुपये उनतालीस लाख बत्तीस हजार पांच सौ मात्र)
कुल			**39,32,500 (रुपये उनतालीस लाख बत्तीस हजार पांच सौ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2217801920300 (उच्चीकृत / सीमा विस्तारित नगर पालिका परिषदों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
	2217801920300 उच्चीकृत / सीमा विस्तारित नगर पालिका परिषदों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	32,37,500 (रुपये बत्तीस लाख सैंतीस हजार पांच सौ मात्र)
कुल			**32,37,500 (रुपये बत्तीस लाख सैंतीस हजार पांच सौ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2217801930300 (नवसृजित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
037	2217801930300 नवसृजित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	34,07,592 (रुपये चौंतीस लाख सात हजार पांच सौ बयान्वे मात्र)
कुल			**34,07,592 (रुपये चौंतीस लाख सात हजार पांच सौ बयान्वे मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2217801930400 (उच्चीकृत / सीमा विस्तारित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
037	2217801930400 उच्चीकृत / सीमा विस्तारित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	29,35,000 (रुपये उन्तीस लाख पैंतीस हजार मात्र)

कुल			29,35,000 (रुपये उन्तीस लाख पैंतीस हजार मात्र)

महायोग	1,35,12,592 (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख बारह हजार पांच सौ बयान्वे मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by संजय कुमार तिवारी
Date: 29-08-2023 1[illegible]:36:26
Reason: Approved

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

<u>संख्या- 02 /2023/001-62CMNSY, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
(4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(5) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) सहायक निदेशक, (वित्त), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
(8) कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।